संख्या-5/2018/645/तीस-2-2018-03(01)/17

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 23 जुलाई,2018**

विषयः- वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित एवं पूर्ण कालिक कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8104सीईएनटी/17-592निगम/2016, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित एवं पूर्ण कालिक कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के प्रस्तर-1(ii) की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष-2012-2013 एवं 2013-2014 में शुद्ध लाभ सम्बन्धी शर्त में शिथिलता प्रदान करते हुए वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार दिनांक 01-01-2016 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को दिनांक 01-01-2016 से अनुमन्य करते हुए उसका वास्तविक भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के अवेशष के भुगतान पर आने वाले व्यय भार की व्यवस्था के लिए निगम प्रबन्धन द्वारा लाभदायिकता तथा भुगतान क्षमता के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के प्रस्तर-1(10) के प्राविधानों को संज्ञान में लेते हुए कार्य योजना तैयार कर निर्णय लिया जायेगा। वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

3- उक्त पर आने वाला समस्त व्यय भार परिवहन निगम द्वारा अपने स्रोतों से स्वयं वहन किया जायेगा।

भवदीया,
ह0
(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-5/2018/645(1)/तीस-2-2018-03(01)/17 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
(2) वित्त (वेतन आयोग)) अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
(3) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
ह0
(जिन्नूरैन अहमद खॉ)
विशेष सचिव ।

http://orasanadesh.up.nic.in